दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

मंगलवार, 03 अप्रैल, 2001/चैत्र 13, 1923 (शक)

संख्या-54

1. 2.02 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें नियम-54 और 55 के अंतर्गत सर्वश्री सुभाष चोपड़ा, मुकेश शर्मा, भीष्म शर्मा, अरविन्दर सिंह लवली और तरविन्दर सिंह मारवाह से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं मिली है और नियम-59 के अन्तर्गत श्री शोएब इकबाल से एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है । सी.एन.जी. बसों की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली के लोगों को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने श्री सुभाष चोपड़ा की सूचना की अल्पकालिक चर्चा में बदलकर स्वीकार कर लिया है । इसे प्रश्नकाल के बाद लिया जायेगा ।

2. **2.10 बजे** **प्रश्न**

तारांकित प्रश्न : तारांकित प्र.सं. 141 एवं 142 पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये । प्र.सं. 143 से 160 (156 को छोड़कर) के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

2.18 बजे **सदस्य का निलम्बन**

श्री जगदीश आनन्द द्वारा कार्यवाही में लगातार बाधा डालने के कारण अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सदन से बाहर जाने के लिये कहा ।

अतारांकित प्रश्न : अतारांकित प्र.सं. 546 से 632 (565 एवं 573 को छोड़कर) के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

3. **3.00 बजे** **सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये पत्र**

श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने निम्नलिखित कागजातों की प्रति सदन पटल पर रखी :-

1. वर्ष 1999-2000 के लिये विनियोजन लेखे
2. वर्ष 1999-2000 के लिये वित्त लेखे
3. 31.3.2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

4· 3·01 बजे अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि आज के लिए सूचीबद्ध विशेष उल्लेख के अंतर्गत सूचीबद्ध महत्वपूर्ण मामलों को पढ़ा हुआ माना जायेगा ।

5· 3·02 बजे **अल्पकालिक चर्चा**

श्री सुभाष चोपड़ा ने सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में सी·एन·जी· बसों की अनुपब्लधता से दिल्ली के लोगों को हो रही भारी परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा प्रारम्भ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मुकेश शर्मा
श्री शोएब इकबाल
श्री अरविन्दर सिंह लवली
श्री भीष्म शर्मा
श्री तरविन्दर सिंह मारवाह

6· 4·05 बजे जलपान-अवकाश

7· 4·40 बजे सदन पुनः समवेत हुआ । अल्पकालिक चर्चा जारी :-

श्री जिले सिंह चौहान
श्रीमती मीरा भारद्वाज
श्री सुरेन्द्र कुमार
श्रीमती किरण वालिया
श्री चरण सिंह कंडेरा
श्री शीश पाल
श्री नसीब सिंह
श्रीमती किरण चौधरी
श्री वीर सिंह
श्री अमरीश सिंह गौतम
श्री मतीन अहमद

श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया।

5·49 बजे श्री परवेज हाशमी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और नियम-107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"यह सदन संकल्प करता है कि सरकार इस सदन की चिन्ता को उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाये कि दिल्ली की जनता को और अन्य नागरिकों को अविलम्ब व्यवस्था होने तक राहत पाने का अधिकार है । यह दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि उनके लिये अबाधित परिवहन का प्रावधान करे और दिल्ली में उनके लिये शुद्ध हवा का भी प्रावधान करें ।

केन्द्र सरकार को यह समझना चाहिये कि पर्यावरणीय संरक्षण का मामला भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच आपसी तालमेल का है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार डीजल इंजनों के परिवर्तन के लिये पर्याप्त मात्रा में अधिकृत एजेंसियों का प्रावधान करने में असफल रहा है । इसलिये सितम्बर की निर्धारित तिथि मिलने का भी कोई उचित मौका नहीं है । उनके द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने के इरादे से इस मामले का कोई सफलतापूर्ण हल निकलने की संभावना नहीं है।

सरकार केसी·एन·जी· में परिवर्तन के लिये और अधिक अधिकृत एजेंसियां तुरन्त स्वीकृत करना सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध करती है । पर्याप्त मात्रा में सी·एन·जी· सप्लाई करने और गैस स्टेशनों का प्रावधान करने में असमर्थ रहने में इसके सुगमता से चलाने के सभी उपायों पर प्रभाव पड़ेगा । हम लगातार निराश ड्राइवरों की लम्बी कतारें और ट्रैफिक से भरी हुई सड़कें देखते रहेंगे । यही समय है जब केन्द्र सरकार को इस तुरन्त जरूरत को और इस संबंध में लिये जाने वाले निर्णय की अनदेखी करने की कीमत को पहचानना चाहिये ।

आस-पास की हवा भी पारगमन यातायात के कारण पूरी दिल्ली को प्रभावित करती है,जो लगातार तब तक जारी रहेगी,जब तक कि नये बाई-पास सड़कें नहीं बन जायेंगी । वास्तव में सी·एन·जी· भारतीय स्थितियों में,विशेष रूप से गर्मियों के तापमान में अप्रमाणित तकनीक ही शेष है, यह भी एक भारी चिन्ता का विषय है । इसलिये इसके बदले में अल्ट्रा लो सल्फर डीजल पर गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

इन मामलों को दृष्टिगत रखते हुए, यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विशेषकर बहु-विधि प्रणाली परिवहन प्रणाली स्थापित करने के लिये पर्यावरणीय विकास योजना तैयार करने के लिये उच्च स्तरीय पर्यावरणीय संरक्षण बोर्ड के गठन करने के दिल्ली सरकार के निर्णय का स्वागत करता है । इसी बीच, उच्चतम न्यायालय से दिल्ली विधान सभा के सदस्यों की भावनाओं को समायोजित करने का अनुरोध किया जा रहा है ।"

विधायी प्रस्ताव

8. 6.01 बजे **विधेयकों पर विचार एवं पारण**

श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली निर्माण कार्य संविदा पर बिक्री कर॥संशोधन॥ विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

वित्त मंत्री ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में वक्तव्य दिया।

विधेयक को खण्डवार विचार के लिये रखा गया ।

खण्ड-2 से खण्ड-9 तक मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये ।

खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक कों पारित किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और विधेयक पारित हुआ ।

9. 6.06 बजे श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली जमाकर्ता॥वित्तीय स्थापनाओं में॥ हित संरक्षण विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । वित्त मंत्री ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में वक्तव्य दिया । निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मुकेश शर्मा

विधेयक को खण्डवार विचार के लिये लिया गया -

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से खण्ड-2॥डी॥॥ ***vi*** ॥ में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-2 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-3 में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-3 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-4 के **परन्तुक** में अपना निम्न संशोधन पेश किया :-

"तीन माह से कम" की बजाये "एक वर्ष से कम" पढ़ा जाये।

वित्त मंत्री के अनुरोध के बाद प्रस्तावक सदस्य "एक वर्ष" के समय को "6 माह" में संशोधन करने को राजी हो गये।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया ।

खण्ड-4 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-5§1§ में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया-

"सहायक समाहर्त्ता" शब्दों को हटा दिया जाये

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-5§2§ में निम्न संशोधन पेश किया-

"शब्द तीस" को "शब्द साठ" कर दिया जाये ।

वित्त मंत्री के आग्रह के बाद प्रस्तावक "साठ" से "पैतालींस" दिन पर राजी हो गये ।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

खण्ड-5 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-6§2§§।।§§ई§ में अपना निम्नलिखित संशोधन पेश किया :-

शब्द "वार्ता करना" को हटा दिया जाये

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

खण्ड-6 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने सदन की अनुमति से खण्ड-7 में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया।

खण्ड-7 से खण्ड-13 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से खण्ड-14 में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-14 से खण्ड-20 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-21 में निम्नलिखित संशोधन पेश किया :-

उप-खण्ड-2§डी§ के बाद निम्नलिखित नया उप-खण्ड§ई§ जोड़ा जाये-

§मूल संशोधन अंग्रेजी में§

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

खण्ड-21 एवं 22 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

6·26 बजे श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये ।

विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और पारित किया गया।

9· 6·27 बजे सदन बुधवार, 4 अप्रैल, 2001 को अपराह्न 2·00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ ।

एस·के·शर्मा
सचिव

दिल्ली,
3 अप्रैल, 2001

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART I
(BRIEF RECORD OF PROCEEDINGS)

TUESDAY 03RD April 2001/Chaitra 13, 1923 (Saka)

No : 54

1. 2.02 PM — Chair informed the House he has
Received Call Attention notice from S/Sh. Subhash Chopra, Mukesh Sharma, Bhisham Sharma, Arvinder Singh Lovely and Sh. Tarvinder Singh Marwah under Rule 54 and 55 for Calling Attention and Short Duration Discussion and One notice from Sh. Shoib Iqbal under Rule 59 for Adjournment motion. He has admitted the Call Attention Notice given by Sh. Subhash Chopra and other for Short Duration Discussion . Keeping in view the seriousness of the problem being faced by the people of Delhi due to non-availability of buses.The same shall be listed after the Question Hour.

2. 2.10 PM — QUESTIONS
Starred Questions : Starred questions 141 and 142 were asked and orally replied. Replies to starred question 143 to 160 (except Q no 156) were Laid on the Table of the House.

2.18 PM — SUSPENSION OF MEMBER
Sh. Jagdish Anand was asked to withdraw by the Chair for his continued interruption.
Unstarred Questions : Replies to unstarred questions 546 to 632 (except 565 and 573) were laid on the Table of the House.

3. 3.00 PM — LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF HOUSE
Sh. Mahender Singh Saathi, Minister of Finance laid the following Papers on the Table of the House :
1) Appropriation Accounts for the year 1999-2000.
2) Finance Accounts for the year 1999-2000
3) Report of the Comptroller & Auditor General of India for the Year ending 31.3.2000.

4. 3.01 PM — Chair ruled that in view of the important discussion listed for the day, the Special mentions shall be deemed to be read.

5. 3.02 PM — SHORT DURATION DISCUSSION
Sh. Subhash Chopra initiated Short Duration Discussion on the Serious problem being faced by people of Delhi due to non-availability Of adequate number of CNG run buses, on roads.
The following members participated in the discussion :-
Sh. Mukesh Sharma
Sh. Shoib Iqbal
Sh. ArvinderSingh Lovely
Sh. Bheesham Sharma
Sh. Tarwinder Singh Marwah

6. 4.05 PM — Tea Break

7. 4.40 PM House re-assembled. Short Duration Discussion continued.
Sh. Jile Singh Chauhan
Smt Meera Bhardwaj
Sh. Surender Kumar
Smt Kiran Walia
Sh. Charan Singh Kandera
Sh. Sish Pal
Sh. Naseeb Singh
Smt Kiran Chaudhary
Sh. Veer Singh
Sh. Amrish Singh Gautam
Sh. Mateen Ahmed
Smt Shiela Dikshit , Chief Minister intervened.

5.49 PM Sh. Parvez Hashmi replied to the discussion. And moved the following motion under Rule 107 :

"This House resolved that the Govt conveys to the Supreme Court the concern of this House that the commuting public of Delhi and other citizens have a right to relief till expeditious arrangements can be made. It is the responsibility of the elected representatives of Delhi to provide Them uninterrupted transportation and also to provide them clean air In Delhi.

The Central Govt must understand that the matter of environmental Protection requires co-operative efforts between the Govt of India and Govt of Delhi. It is unfortunate that the Central Govt has failed to Provide adequate number of authorized agents for conversion of Diesel engines. Therefore, there is no reasonable chance that the September deadlines will be met. Their inaction has created a Monopoly that is detrimental to any successful outcome of this Issue.

The Govt thus urges the Central Govt to ensure that more authorized Agents are quickly approved to undertake the task of conversion of CNG. The failure to provide adequate supplies of CNG and outlets Will frustrate all attempts to make a smooth transition. We will Continue long queues of frustrated drivers and traffic clogging Roads. It is the time that the Central Govt realises the costs of Ignoring this urgent requirement or delaying any decision in this Regard.

The ambient quality of air over Delhi is affected substantially by Transit traffic which will continue unabated unless new bypass roads Are built. The fact that CNG remains an untested technology in Indian conditions, particularly summertime temperatures, is a Matter of great concern. The alternative of Ultra Low Sulphur Diesel has to be considered seriously.

In view of these matters, this House welcomes the decision of The Delhi Govt to constitute a high-powered Environmental Protection Board to prepare an environmental development plan for

For the the National Capital with particular focus on multi-mode Transport. Meanwhile the Supreme Court be requested to accomodate the concerns of the members of the Legislative Assembly".

6.00 PM The motion was put to vote and adopted.

LEGISLATIVE PROPOSALS

8. 6.01 PM CONSIDERATION AND PASSING OF BILLS
Sh. Mahender Singh Saathi, Minister of Finance moved that ' The Delhi Sales Tax On Works Contract (Amendment) Bill, 2001' be taken into Consideration. The motion was put to vote and adopted.
The Minister then spoke about the provisions of the Bill.
The Bill was taken up for clause-by-clause consideration .
Clauses 2 to 9 were put to vote and adopted.
Clause 1, Preamble and title was put to vote and adopted
Sh. Mahender Singh Saathi, Minister of Finance moved that the Bill Be passed. The motion was put to vote and Bill was passed.

9. 6.06 PM Sh. Mahender Singh Sathi, Minister of Finance moved that 'The Delhi Protection of Interests of Depositors (In Financial Establishments) Bill, 2001' be taken into consideration. The motion was put to vote And adopted. The Minister spoke on the provisions of the Bill. The Following members participated in the debate :
Sh. Mukesh Sharma

The Bill was then taken up for clause-by -clause consideration :

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Clause 2(d)(vi) With the leave of House. Clause 2 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Clause 3 with The leave of the House. Clause 3 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Proviso To Clause 4 :
" less then three months" be read as "less than one year".
After persuasion from Finance Minister mover agreed to Amend the period from one year to six months.
The amendment was put to vote and adopted.

Smt Kiran Chaudhary moved the following amendment in Clause 5 (1) :
" Delete words' Assistant Collector' ".
The amendment was put to vote and adopted.

Smt Kiran Chaudhary moved the following amendment in Clause 5(2) :-
" Replace words ' thirty' by ' sixty'"
After persuasion from Finance Minister the mover agreed to amend The period from sixty to forty five days.

The amendment was put to vote and adopted.
Clause 5 was put to vote and adopted.

Smt Kiran Chaudhary moved the following amendment in Clause 6(2)(ii)(e) :
" Words 'negotiate' be deleted"
Amendment was put to vote and adopted.
Clause 6 was put to vote and adopted.

Smt Kiran Chaudhary withdrew her amendment in Clause 7 With the leave of the House.
Clause 7 to 13 were put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendments in Clause 14 With the leave of the House.
Clauses 14 to 20 put to vote and adopted.

Smt Kiran Chaudhary moved amendment in Clause 21:-
After sub-clause 2(d) insert new sub-clause (e) as follows :-
" the manner in which the liabilities accruing to a financial establishment or person emanating out of the procedings before a designated Court is to be discharged out of the attached properties and assets in respect of such financial establishments or persons".
The amendment was put to vote and adopted.
Clause 21 and 22 were put to vote and adopted.

Clause 1, Preamble and title was put to vote and adopted.
6.26 PM Sh. Mahender Singh Saathi moved that the Bill be passed.
The Bill was put to vote and passed.

10. 6.27 PM House adjourned till 2.00 PM on 4th April 2001.

S K SHARMA
SECRETARY

Place : Delhi

Dated 3rd April 2001.